वन अधिकार :आदिवासी की सजगता

■ बाबा मायाराम

होशंगाबाद जिले के आदिवासी विकासखंड केसला में तवा नदी के किनारे बसा है बारधा। यहां की वन अधिकार समिति की सक्रियता के कारण यहां दावा फार्म तो सबने भर दिए। लेकिन उपखंड समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) ने उसे अमान्य करने के लिए उसी वन अधिकार समिति का सहारा लिया जिसने फार्म भरवाए थे। जबकि ग्राम वन अधिकार समिति के सदस्यों का कहना था कि जिसने अमान्य की टीप लिखी है वही उस पर दस्तख्वत करे, हमसे क्यों दस्तख्वत करवाए जा रहे हैं।

एस.डी.एम. ने अपने दफ्तर में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष व सचिव को बुलाकर उनसे उस टीप पर दस्तख्वत भी ले लिए जो दावा फार्म को अमान्य करती है। वह तो जनपद सदस्य की सजगता और जागरूकता के कारण यह मामला सामने आ गया। और उन्होंने हस्तक्षेप कर इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। हालांकि उन्हें इसके बदले में जेल भेजने की धमकी दी गई। यह घटना 6 अगस्त, 2008 की है।

पूर्व जनपद सदस्य व इस घटना में निशाना बने रामप्रसाद बारस्कर का कहना है कि इटारसी एस. डी. एम. ने वन अधिकार समिति के अध्यक्ष व सचिव और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी प्रकार सभी तहसीलों में एस डी एम ग्रामवासियों के दावा फार्मों को अपने पास बुलाया गयां है। सोहागपुर एस डी एम ने बोरी अभयारण्य के ग्रामवासियों को सोहागपुर बुलाया गया जिससे एक गरीब आदिवासियों के पैसे और समय लगा। जबकि कानून के मुताबिक दावा फार्मों की जांच गांव में ही वन अधिकार समिति को करना है। इसमें प्रषासन को मदद करना है। वन अधिकार समिति के सचिव कमल किशोर का कहना है कि हमने गांव के करीब 61-62 लोगों के दावा फार्म भरवाए। इसका मौके पर जाकर सर्वे भी किया। उस समय पटवारी भी मौजूद था। इसके बाद दावा फार्म जमा किए। एसडीएम ने हमें बुलाया और अमान्य की टीप पर दस्तख्वत करने के लिए कहा जिस पर हमने आपत्ति की। बाद में इस बारे में विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि अब तक ग्रामीणों को पट्टे नहीं मिल पाए हैं पर इस संबंध में आगे राह बनी है।

इटारसी और सोहागपुर तहसीलों में वन क्षेत्र में शामिल तवा जलाशय में डूब की खेती करने वाले ग्रामवासियों के दावा करने से मना किया जा रहा है। और उनके दावा फार्म वापस किए जा रहे हैं या अमान्य किए जा रहे है। इस कानून के तहत जमीन पर पानी में, जंगल में सभी प्रकार के अधिकार मिलेंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों कें इस रवैये से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और कई ग्राम में ग्रामवासियों ने डूब की खेती के दावा फार्म नहीं भरे हैं।

तवा जलाशय के दोनों किनारों पर विस्थापित बसे हैं। वे तवा बांध से उजड़े हैं। वे डूब की खेती करते है और मछली पकड़ते हैं। मछली पर प्रतिबंध लग गया है क्योंकि तवा जलाषय का क्षेत्र वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आ गया है। जबकि तवा में मछली सहकारिता का आदिवासियों ने सफल प्रयोग किया है। यह वर्ष 1996 से 2006 तक दस साल तक चला। ग्रामीण पूछते हैं कि अब डूब की खेती के भी पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं तो आदिवासी अपना जीवनयापन कैसे करेंगे? रामप्रसाद बारस्कर कहते हैं कि जबसे तवा बांध बना है तबसे ही हम डूब की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा, अभयारण्य के क्षेत्र में ग्रामीणों के निस्तार पर रोक लगाई जा रही है। मवेशी चराने, जलाऊ लकड़ी, कांटा-गेड़ी पर पाबंदी लगाई जा रही है जिससे जीवनयापन में कठिनाई आ रही है।

आदिवासियों के निस्तार पर पाबंदियां पर टिप्पणी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की उन्तीसवीं रिपोर्ट (1987-89) में की गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि वैसे तो वन्य प्राणियों के संरक्षण कानून काफी पुराना है और आजादी के पहले भी उनकी बचाव-बढ़त के लिए कार्रवाई होती रही थी- परंतु आजादी के बाद वन्य प्राणियों का बेरहमी से कत्लेआम जैसा हुआ है जिसके कारण उनके बचाव की तरफखास तौर पर ध्यान देने की जरूरत महसूस हुई। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए कानूनों को कड़ा बनाया गया है और उनके अमल पर भी कड़ाई बरती जा रही है। परंतु जैसा सभी मामलों में हो गया है कि असली अपराधी या तो एक तरफहट गए हैं या उनके गुनाह नजरअंदाज कर दिए गए। नए कानूनों की चपेट में खासतौर आदिवासी आ गया है जिसकी उसूलों के नाम पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। **(बाकी पेज 8 पर)**

Editorial Page, 21 May, 2011, Daily Chhattisgarh, Raipur.

वन अधिकार : आदिवासी की सजगता

जिला वन अधिकार समिति के सदस्य व जिला पंचायत सदस्य फागराम का कहना है कि इस कानून में आदिवासियों को अधिकार तो मिले हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई गांव में जमीन नापने गए आर आई, पटवारी एवं नाकेदार ने मनमाने ढंग से काम किया है। उन्होंने दावा फार्म की जमीन नहीं नापी है। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जिन जमीन फसल नहीं खड़ी उसे नहीं नापेंगे। कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कानून के मुताबिक यह निर्णय लेने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ग्रामवासियों को पूरी जानकारी नहीं होने से कई लोग दावा फार्म नहीं भर पाए है तथा पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर पाएं हैं।

वे कहते हैं कि गांव की वन अधिकार समितियों केा सरकार द्वारा पुराना वन रिकार्ड, राजस्व का रिकार्ड, अतिक्रमण का रिकार्ड, नई व पुरानी मतदाता सूचियां तथा नक्षे आदि उपलब्ध कराना चाहिए। जिस गांव में गैर आदिवासी हैं वहां के 75 वर्ष पुराना रिकार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कई जगह पिछले दो वर्षों में वनविभाग ने ग्रामवासियों का कब्जा हटाकर वृक्षारोपण कर दिया है, यह उचित नहीं है। उस भूमि पर 13 दिसंबर, 2005 से पहले कब्जा था तो उसका दावा मान्य किया जाए। यदि वे पहले पास किसी गांव में रहते थे जो वन क्षेत्र में ही है तो उसे मान्य किया जाए। गांव के बुजुर्गों द्वारा दिए गए बयान कानून के मुताबिक मान्य किया जाए। यदि किसी का दावा अमान्य किया जाता है तो उसे तत्काल लिखित सूचना दी जाए ताकि वह निर्धारित समय में अपील कर सके।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और यह रिपोर्ट सी एस ई मीडिया फैलोशिप 2011 के तहत है।)

Editorial Page, 21 May 2011, Daily Chhattigarh,